

क्रि०मि०केश नं०- 279 / 2019

अभिलेख तपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि वर्तमान वाद की वैधानिक अवधि एक वर्ष बीच चुकी है। उभय पक्ष की ओर से या संबंधित थाना प्रभारी से शांति भंग होने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान वाद समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

१/23/11/2020  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,  
गोडा।

१/23/11/2020  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,  
गोडा।

5/11/2019

15405  
4200000011